भारत सरकार
लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या : 668
उत्तर देने की तारीख : 25.07.2024

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए योजनाएं

668. श्री गोविन्द मकथप्पा कारजोल:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान कर्णाटक में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं का जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) कर्णाटक में विगत पांच वर्षों के दौरान विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत शामिल किए गए लाभार्थियों का जिला-वार ब्यौरा क्या है और उनकी संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार द्वारा भिन्न रूप से सशक्त लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो कर्णाटक सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसे कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

उत्तर
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री
(श्री जीतन राम मांझी)

(क) और (ख): भारत सरकार, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्रालय, कर्नाटक राज्य सहित, देश में एमएसएमई क्षेत्र के संवर्धन और विकास के उद्देश्य से विभिन्न स्कीमों और कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करता है। इन स्कीमों/कार्यक्रमों में प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई), सूक्ष्म और लघु उद्यम-क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी), उद्यमिता कौशल विकास कार्यक्रम (ईएसडीपी), खरीद और विपणन सहायता स्कीम (पीएमएसएस), एमएसएमई के कार्यनिष्पादन में संवृद्धि और गतिवर्धन (रैम्प), अंतर्राष्ट्रीय सहयोग स्कीम, टूल रूम, प्रौद्योगिकी केंद्र प्रणाली कार्यक्रम (टीसीएसपी), राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हब (एनएसएसएच), एमएसएमई चैंपियंस स्कीम आदि शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने एमएसएमई क्षेत्र की सहायता के लिए कई पहलें शुरू की हैं। इनमें से कुछ पहलें निम्नानुसार हैं:

i. क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) के माध्यम से विभिन्न श्रेणी के ऋण के लिए 85% तक के गारंटी कवरेज के साथ एमएसई को 500 लाख रुपए (01.04.23 से प्रभावी) की सीमा तक कोलेटरल मुक्त ऋण।
ii. आत्म निर्भर भारत फंड के माध्यम से 50,000 करोड़ रुपए का इक्विटी समावेशन। इस स्कीम में भारत सरकार से 10,000 करोड़ रुपए के कॉर्पस के लिए प्रावधान है।
iii. एमएसएमई के वर्गीकरण के लिए नया संशोधित मानदंड।
iv. व्यवसाय की सुगमता के लिए उद्यम पंजीकरण पोर्टल के माध्यम से एमएसएमई का पंजीकरण।

v. 200 करोड़ रुपए तक की खरीद के लिए कोई वैश्विक निविदा नहीं होगी।

vi. दिनांक 02.07.2021 से खुदरा और थोक व्यापारों का एमएसएमई के रूप में समावेशन।

vii. एमएसएमई की स्थिति में उर्ध्वगामी परिवर्तन की स्थिति में 3 वर्षो के लिए गैर-कर का लाभ प्रदान किया गया है।

viii. अगले 5 वर्षों में 6,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ एमएसएमई के कार्यनिष्पादन में संवृद्धि और गतिवर्धन (रैम्प) कार्यक्रम की शुरुआत की गई है।

ix. श्रम और रोजगार मंत्रालय के राष्ट्रीय कैरियर सेवा (एनसीएस) और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के स्किल इंडिया डिजिटल के साथ उद्यम पंजीकरण पोर्टल का एकीकरण। पंजीकृत एमएसएमई को प्रशिक्षित श्रमशक्ति और उनकी क्षमता निर्माण तक पहुंचने के लिए सक्षम बनाया गया है।

x. विवाद से विश्वास-I के तहत, कटौती की गई निष्पादन सुरक्षा, निविदा सुरक्षा और नुकसानों की प्रतिपूर्ति का 95% वापस करके राहत प्रदान की गई है। अनुबंधों की अनुपालना में चूक होने के कारण प्रतिबंधित एमएसएमई को भी राहत प्रदान की गई है।

xi. प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को दिए जाने वाले ऋण (पीएसएल) के तहत दिए जाने वाले लाभों का फायदा प्राप्त करने के लिए अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों (आईएमई) को औपचारिक दायरे में लाने के लिए उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म (यूएपी) की शुरुआत की गई है।

xii. 18 व्यापारों में कार्यरत पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को आद्योपांत समग्र लाभ प्रदान करने के लिए दिनांक 17.09.2023 को 'पीएम विश्वकर्मा' स्कीम की शुरुआत की गई है।

मंत्रालय की प्रमुख स्कीमों अर्थात पीएमईजीपी, सीजीटीएमएसई और उद्यम पंजीकरण के तहत कर्नाटक राज्य में विगत पांच वर्षों के दौरान लाभार्थियों की जिला-वार संख्या क्रमशः अनुबंध I, II और III में दी गई है।

(ग) और (घ): एमएसएमई मंत्रालय अपनी विभिन्न स्कीमों, कार्यक्रमों और नीतिगत पहलों के माध्यम से कर्नाटक राज्य सहित पूरे देश में दिव्यांगजनों के स्वामित्व वाले एमएसएमई सहित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) को प्रोत्साहित करता है। स्कीमों में दिव्यांगजनों के लिए अलग से प्रावधान है, जैसे,

पीएमईजीपी के तहत दिव्यांगजन जैसे विशेष श्रेणी से संबंध रखने वाले लाभार्थियों को ग्रामीण क्षेत्रों में 35% और शहरी क्षेत्रों में 25% मार्जिन मनी सब्सिडी प्रदान की जाती है। विनिर्माण क्षेत्र में अधिकतम परियोजना लागत 50 लाख रुपए और सेवा क्षेत्र में 20 लाख रुपए है। इसके अतिरिक्त, महिलाओं सहित विशेष श्रेणी के तहत लाभार्थियों का स्वयं का अंशदान 5% है और सामान्य वर्ग के लाभार्थियों के लिए 10% है।

एमएसएमई मंत्रालय की राष्ट्रीय पुरस्कार स्कीम के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, 'दिव्यांग' श्रेणी से संबंध रखने वाले उद्यमियों को 2 राष्ट्रीय पुरस्कारों जिसमें 3 लाख रुपए के नकद पुरस्कार के साथ प्रत्येक के लिए ट्रॉफी और प्रमाण पत्र प्रदान करने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त, खरीद और विपणन सहायता स्कीमों के तहत घरेलू व्यापार मेलों में सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए न्यूनतम स्टॉल साईज पर दिव्यांग व्यक्तियों के स्वामित्व वाली इकाइयों द्वारा भुगतान किए गए निर्मित स्थान किराए पर 100% सब्सिडी प्रदान की जाती है।

पीएमईजीपी स्कीम के तहत कर्नाटक राज्य सहित विगत पांच वर्षों के दौरान लाभार्थियों की संख्या का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा अनुबंध-IV पर दिया गया है।

*****

अनुबंध- I

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 668 जिसका उत्तर दिनांक 25.07.2024 को दिया जाना है, के भाग (क) और (ख) में संदर्भित अनुबंध

1. सहायता प्रदान की गई इकाइयों की संख्या, संवितरित मार्जिन मनी सब्सिडी और अनुमानित रोजगार सृजन के संदर्भ में विगत 5 वर्षों अर्थात वित्त वर्ष 2019-20 से वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान कर्नाटक में पीएमईजीपी का कार्यनिष्पादन:

क्र.सं.	वित्त वर्ष	सहायता प्रदान की गई इकाइयों की संख्या	मार्जिन मनी सब्सिडी (करोड़ रुपए में)	अनुमानित सृजित रोजगार
1	वित्त वर्ष 2019-20	3,697	106.81	29,576
2	वित्त वर्ष 2020-21	4,437	125.02	35,496
3	वित्त वर्ष 2021-22	5,877	158.43	47,016
4	वित्त वर्ष 2022-23	5,618	161.54	44,944
5	वित्त वर्ष 2023-24	4,672	158.62	37,376

2. सहायता प्रदान की गई इकाइयों की संख्या, संवितरित मार्जिन मनी सब्सिडी और अनुमानित रोजगार सृजन के संदर्भ में वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान कर्नाटक में पीएमईजीपी का कार्यनिष्पादन:

क्र.सं.	जिला का नाम	मार्जिन मनी सब्सिडी (लाख रुपए में)	सहायता प्रदान की गई इकाईयों की संख्या	अनुमानित रोजगार सृजन
1	बागलकोट	366.79	168	1,344
2	बैंगलुरू	1,182.43	288	2,304
3	बैंगलुरू ग्रामीण	357.22	93	744
4	बैंगलोर शहरी	-	-	-
5	बेलगाम	692.90	278	2,224
6	बेल्लारी	457.37	189	1,512
7	बीदर	151.47	79	632
8	बीजापुर	445.67	205	1,640
9	चामराजनगर	123.12	68	544
10	चिक्कबल्लपुर	265.11	82	656
11	चिकमगलूर	210.62	69	552
12	चित्रदुर्गा	336.11	132	1,056
13	दक्षिण कन्नड	1,240.08	362	2,896
14	दावणगेरे	312.06	90	720
15	धारवाड़	137.43	88	704
16	गदग	171.69	76	608
17	गुलबर्गा	92.02	52	416
18	हसन	246.33	100	800
19	हावेरी	250.67	121	968
20	कोडागू	210.24	74	592
21	कोलार	367.81	110	880
22	कोप्पल	124.91	60	480
23	मंड्या	331.09	99	792
24	मैसूर	510.99	158	1,264
25	रायचूर	373.45	104	832
26	रामनगरा	200.58	57	456
27	शिमोगा	538.56	153	1,224
28	तुमकुर	167.77	62	496
29	उडुपी	494.25	147	1,176
30	उत्तर कन्नड़	228.16	74	592
31	विजयनगर	-	-	-
32	यादगिर	94.24	59	472
सकल योग		**10,681.14**	**3,697**	**29,576**

3. सहायता प्रदान की गई इकाइयों की संख्या, संवितरित मार्जिन मनी सब्सिडी और अनुमानित रोजगार सृजन के संदर्भ में वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान कर्नाटक में पीएमईजीपी का कार्यनिष्पादन:

क्र.सं.	जिला का नाम	मार्जिन मनी सब्सिडी (लाख रुपए में)	सहायता प्रदान की गई इकाईयों की संख्या	अनुमानित रोजगार सृजन
1	बागलकोट	639.63	216	1,728
2	बैंगलुरू	881.25	208	1,664
3	बैंगलुरू ग्रामीण	251.24	72	576
4	बैंगलोर शहरी	-	-	-
5	बेलगाम	1,517.04	571	4,568
6	बेल्लारी	548.84	234	1,872
7	बीदर	117.48	60	480
8	बीजापुर	1,245.17	392	3,136
9	चामराजनगर	167.08	74	592
10	चिक्कबल्लपुर	412.36	108	864
11	चिकमगलूर	272.17	86	688
12	चित्रदुर्गा	189.85	83	664
13	दक्षिण कन्नड	1,011.31	328	2,624
14	दावणगेरे	325.32	112	896
15	धारवाड़	233.16	137	1,096
16	गदग	155.54	78	624
17	गुलबर्गा	49.62	36	288
18	हसन	248.24	104	832
19	हावेरी	415.82	206	1,648
20	कोडागू	235.74	77	616
21	कोलार	248.18	82	656
22	कोप्पल	126.77	72	576
23	मंड्या	354.12	109	872
24	मैसूर	492.24	163	1,304
25	रायचूर	159.91	62	496
26	रामनगरा	296.06	92	736
27	शिमोगा	504.89	162	1,296
28	तुमकुर	177.00	66	528
29	उडुपी	679.19	206	1,648
30	उत्तर कन्नड़	449.91	173	1,384
31	विजयनगर	-	-	-
32	यादगिर	99.13	68	544
सकल योग		**12,502.46**	**4,437**	**35,496**

4. सहायता प्रदान की गई इकाइयों की संख्या, संवितरित मार्जिन मनी सब्सिडी और अनुमानित रोजगार सृजन के संदर्भ में वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान कर्नाटक में पीएमईजीपी का कार्यनिष्पादन:

क्र.सं.	जिला का नाम	मार्जिन मनी सब्सिडी (लाख रुपए में)	सहायता प्रदान की गई इकाईयों की संख्या	अनुमानित रोजगार सृजन
1	बागलकोट	836.20	392	3,136
2	बैंगलुरू	1,268.91	301	2,408
3	बैंगलुरू ग्रामीण	412.62	101	808
4	बैंगलोर शहरी	-	-	-
5	बेलगाम	1,670.48	627	5,016
6	बेल्लारी	620.00	343	2,744
7	बीदर	324.33	112	896
8	बीजापुर	884.18	427	3,416
9	चामराजनगर	185.84	80	640
10	चिक्कबल्लपुर	383.21	91	728
11	चिकमगलूर	321.86	114	912
12	चित्रदुर्गा	321.07	88	704
13	दक्षिण कन्नड	1,420.10	438	3,504
14	दावणगेरे	450.51	115	920
15	धारवाड़	293.70	158	1,264
16	गदग	255.17	109	872
17	गुलबर्गा	207.76	119	952
18	हसन	332.92	130	1,040
19	हावेरी	536.17	257	2,056
20	कोडागू	199.90	74	592
21	कोलार	205.12	55	440
22	कोप्पल	157.40	90	720
23	मंड्या	471.88	147	1,176
24	मैसूर	452.27	161	1,288
25	रायचूर	312.23	118	944
26	रामनगरा	249.76	84	672
27	शिमोगा	770.76	247	1,976
28	तुमकुर	419.34	150	1,200
29	उडुपी	960.50	315	2,520
30	उत्तर कन्नड़	694.19	271	2,168
31	विजयनगर	-	-	-
32	यादगिर	224.98	163	1,304
	सकल योग	**15,843.36**	**5,877**	**47,016**

5. सहायता प्रदान की गई इकाइयों की संख्या, संवितरित मार्जिन मनी सब्सिडी और अनुमानित रोजगार सृजन के संदर्भ में वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान कर्नाटक में पीएमईजीपी का कार्यनिष्पादन:

क्र.सं.	जिला का नाम	मार्जिन मनी सब्सिडी (लाख रुपए में)	सहायता प्रदान की गई इकाईयों की संख्या	अनुमानित रोजगार सृजन
1	बागलकोट	788.85	348	2,784
2	बैंगलुरू	1,319.35	264	2,112
3	बैंगलुरू ग्रामीण	322.14	82	656
4	बैंगलोर शहरी	-	-	-
5	बेलगाम	2,068.28	708	5,664
6	बेल्लारी	680.47	348	2,784
7	बीदर	355.66	127	1,016
8	बीजापुर	758.52	391	3,128
9	चामराजनगर	172.44	78	624
10	चिक्कबल्लपुर	389.40	74	592
11	चिकमगलूर	498.45	170	1,360
12	चित्रदुर्गा	346.50	114	912
13	दक्षिण कन्नड	1,148.22	331	2,648
14	दावणगेरे	430.70	117	936
15	धारवाड़	383.68	191	1,528
16	गदग	245.16	94	752
17	गुलबर्गा	141.35	85	680
18	हसन	422.59	139	1,112
19	हावेरी	392.88	178	1,424
20	कोडागू	209.70	69	552
21	कोलार	283.74	96	768
22	कोप्पल	226.78	91	728
23	मंड्या	433.49	122	976
24	मैसूर	366.77	118	944
25	रायचूर	247.99	86	688
26	रामनगरा	301.17	96	768
27	शिमोगा	1,060.81	337	2,696
28	तुमकुर	378.82	110	880
29	उडुपी	982.45	319	2,552
30	उत्तर कन्नड़	604.05	231	1,848
31	विजयनगर	20.26	10	80
32	यादगिर	173.74	94	752
सकल योग		**16,154.42**	**5,618**	**44,944**

6. सहायता प्रदान की गई इकाइयों की संख्या, संवितरित मार्जिन मनी सब्सिडी और अनुमानित रोजगार सृजन के संदर्भ में वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान कर्नाटक में पीएमईजीपी का कार्यनिष्पादन:

क्र.सं.	जिला का नाम	मार्जिन मनी सब्सिडी (लाख रुपए में)	सहायता प्रदान की गई इकाईयों की संख्या	अनुमानित रोजगार सृजन
1	बागलकोट	630.88	233	1,864
2	बैंगलुरू	1,747.84	272	2,176
3	बैंगलुरू ग्रामीण	604.52	113	904
4	बैंगलोर शहरी	-	-	-
5	बेलगाम	1,801.42	507	4,056
6	बेल्लारी	431.20	221	1,768
7	बीदर	415.14	122	976
8	बीजापुर	560.20	252	2,016
9	चामराजनगर	323.42	111	888
10	चिक्कबल्लपुर	321.97	68	544
11	चिकमगलूर	464.91	152	1,216
12	चित्रदुर्गा	193.44	69	552
13	दक्षिण कन्नड	1,394.64	362	2,896
14	दावणगेरे	424.26	114	912
15	धारवाड़	357.19	134	1,072
16	गदग	224.07	78	624
17	गुलबर्गा	177.08	65	520
18	हसन	312.16	91	728
19	हावेरी	285.94	120	960
20	कोडागू	220.83	64	512
21	कोलार	266.60	68	544
22	कोप्पल	160.99	68	544
23	मंड्या	392.59	99	792
24	मैसूर	371.44	119	952
25	रायचूर	285.17	76	608
26	रामनगरा	312.31	117	936
27	शिमोगा	991.96	285	2,280
28	तुमकुर	424.75	107	856
29	उडुपी	1,024.52	291	2,328
30	उत्तर कन्नड़	462.33	171	1,368
31	विजयनगर	94.90	34	272
32	यादगिर	183.80	89	712
सकल योग		**15,862.49**	**4,672**	**37,376**

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 668 जिसका उत्तर दिनांक 25.07.2024 को दिया जाना है, के भाग (क) और (ख) में संदर्भित अनुबंध

सीजीटीएमएसई-कर्नाटक-अनुमोदित गारंटी

राशि (करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	जिला	वित्त वर्ष 2019-20		वित्त वर्ष 2020-21		वित्त वर्ष 2021-22		वित्त वर्ष Y 2022-23		वित्त वर्ष 2023-24	
		अनुमोदित गारंटियों की संख्या	अनुमोदित राशि	अनुमोदित गारंटियों की संख्या	अनुमोदित राशि	अनुमोदित गारंटियों की संख्या	अनुमोदित राशि	अनुमोदित गारंटियों की संख्या	अनुमोदित राशि	अनुमोदित गारंटियों की संख्या	अनुमोदित राशि
1	बागलकोट	9145	571	1601	89	2324	193	2679	401	11847	779
2	बेलागवी	3112	166	2861	145	2835	245	4077	382	10736	620
3	बेल्लारी	1292	64	1423	54	844	63	1001	158	4488	338
4	बैंगलुरू (बैंगलौर) ग्रामीण	4737	577	2569	340	2565	634	2364	652	5578	936
5	बैंगलुरू (बैंगलौर) शहरी	14993	1226	13169	1369	8985	1491	13777	3338	29649	5886
6	बीदर	1318	45	667	21	664	35	533	49	2094	131
7	चामराजनगर	295	8	246	7	206	12	214	20	966	53
8	चिक्कबल्लपुर	1206	45	883	31	797	48	1051	75	1983	129
9	चिकमगलूर	296	16	339	16	480	40	490	76	2134	122
10	चित्रादुर्गा	512	21	620	19	383	24	597	69	1595	94
11	दक्षिण कन्नड	5581	270	4920	204	3489	233	5095	380	7715	670
12	दावणगेरे	1988	63	1217	49	739	56	765	100	2493	212
13	धारवाड़	2602	113	2045	91	1634	132	2528	223	5152	447
14	गदग	1031	27	506	20	345	29	515	42	2179	97
15	हसन	1345	47	1065	35	934	60	1063	95	3350	217
16	हावेरी	954	41	648	33	443	35	835	83	3064	160
17	कालाबुर्गी	1153	47	1269	44	1307	56	1040	85	4296	255
18	कोडागू	787	22	742	24	513	34	1016	58	1871	122
19	कोलार	693	38	862	41	671	60	677	93	2549	215
20	कोप्पल	536	14	432	15	316	24	394	45	1528	110
21	मंड्या	830	31	608	30	666	43	1206	87	3011	181
22	मैसूर	3261	139	2101	117	1592	154	2133	272	4209	551
23	रायचूर	746	32	746	28	634	32	637	65	1817	156
24	रामनगरा	381	17	519	20	506	32	274	28	1318	115
25	शिमोगा	2306	83	1557	68	1052	79	1756	145	3350	248
26	तुमकुर	1179	65	1046	60	1042	122	883	175	3106	284
27	उडुपी	2831	142	3060	127	2400	190	3054	233	5117	398
28	उत्तर कन्नड़	1902	72	1870	72	1469	89	1680	132	5054	232
29	विजयपुरा	1256	57	1084	45	974	55	1180	115	2948	188
30	यादगिर	304	9	299	11	219	9	252	35	762	68
	कुल	**68572**	**4069**	**50974**	**3225**	**41028**	**4308**	**53766**	**7712**	**135959**	**14016**

अनुबंध- III

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 668 जिसका उत्तर दिनांक 25.07.2024 को दिया जाना है, के भाग (क) और (ख) में संदर्भित अनुबंध

कर्नाटक राज्य के लिए दिनांक 01/07/2020 को शुरुआत से 23/07/2024 तक उद्यम के तहत पंजीकृत दिव्यांगजन के स्वामित्व वाली एमएसएमई की जिला-वार कुल संख्या		
क्र.सं.	जिला	कुल एमएसएमई
1	बालाकोट	37,545
2	बेल्लारी	38,124
3	बेलागवी	1,13,318
4	बैंगलूरू (ग्रामीण)	78,210
5	बैंगलूरू (शहरी)	4,17,507
6	बीदर	28,044
7	चामराजनगर	15,598
8	चिक्कबल्लपुर	25,100
9	चिक्कमगलूर	23,565
10	चित्रदुर्गा	26,169
11	दक्षिण कन्नड़	63,406
12	दावणगेरे	36,949
13	धारवाड़	62,653
14	गदग	21,331
15	हसन	39,375
16	हावेरी	30,709
17	कालाबुर्गी	34,945
18	कोडागू	12,603
19	कोलार	28,766
20	कोप्पल	20,143
21	मंड्या	34,079
22	मैसूर	85,283
23	रायचूर	27,456
24	रामनगरा	26,662
25	शिवमोगा	43,602
26	तुमकुर	54,467
27	उडुपी	38,455
28	उत्तर कन्नड़	35,828
29	विजयजगर	10,306
30	विजयपुरा	39,250
31	यादगिर	15,957
	कुल	**15,65,405**

अनुबंध- IV

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 668 जिसका उत्तर दिनांक 25.07.2024 को दिया जाना है, के भाग (ग) और (घ) में संदर्भित अनुबंध

सूक्ष्म इकाइयों की स्थापना में दिव्यांग लाभार्थियों की सहायता में विगत 5 वर्षों के दौरान पीएमईजीपी का कार्यनिष्पादन

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वित्त वर्ष 2019-20	वित्त वर्ष 2020-21	वित्त वर्ष 2021-22	वित्त वर्ष 2022-23	वित्त वर्ष 2023-24	वित्त वर्ष 2024-25*
1	अंडमान और निकोबार	1	1	2	1		
2	आंध्र प्रदेश	21	10	15	15	19	4
3	अरूणाचल प्रदेश			1			
4	असम	7	5	11	5	2	
5	बिहार	18	10	8	22	23	4
6	छत्तीसगढ़	16	8	19	12	11	
7	दिल्ली	1					
8	गोवा	1					
9	गुजरात	15	14	15	7	4	6
10	हरियाणा	10	13	8	7	6	
11	हिमाचल प्रदेश	3	9	7		4	
12	जम्मू कश्मीर	16	13	33	17	13	4
13	झारखंड	12	9	9	9	12	
14	**कर्नाटक**	**45**	**39**	**45**	**35**	**18**	
15	केरल	15	16	13	14	19	1
16	मध्य प्रदेश	7	18	47	34	23	
17	महाराष्ट्र	34	23	29	32	20	1
18	मणिपुर		1	1			
19	मेघालय		2	2			
20	नागालैंड	3	2	2			
21	ओडिशा	29	42	55	34	32	
22	पुडुचेरी	2	1	1	1	1	
23	पंजाब	18	16	8	15	4	2
24	राजस्थान	15	10	11	5	4	1
25	तमिलनाडु	30	34	52	83	64	3
26	तेलंगाना	13	22	15	15	8	2
27	त्रिपुरा	1		2			
28	उत्तर प्रदेश	51	60	56	58	50	8
29	उत्तराखंड	12	9	8	7	5	
30	पश्चिम बंगाल	19	13	9	5	7	
	कुल	**415**	**400**	**484**	**433**	**349**	**36**

* 24 जुलाई, 2024 की स्थिति के अनुसार